राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :–5237/2021

आशा गुप्ता

–अपीलार्थी

बनाम

1. अति. मुख्य सचिव, शिक्षा विभाग, राजस्थान सचिवालय, जयपुर।
2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर।
3. श्रीमती सरिता सेहरा, प्रधानाचार्य Posted vice the appellant at राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय, मालवीय नगर, जयपुर।
4. श्री सुमेर सिंह, प्रधानाचार्य, Posted vice the respondent No.3 at DEO (Head Quarter) Secondary education, jaipur.
5. प्रधानाचार्य, राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय, मालवीय नगर, जयपुर।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतीकरण की दिनांक : 12.10.2021
आदेश दिनांक : 30.09.2022

उपस्थितः–
अपीलार्थी की ओर से : श्री बी.बी.एल. शर्मा, अधिवक्ता
निजी प्रत्यर्थी संख्या 3 की ओर से : श्री लक्ष्मीकांत शर्मा, अधिवक्ता
निजी प्रत्यर्थी संख्या 4 की ओर से : श्री अशोक बंसल, अधिवक्ता
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री गौरव सिंह, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)
एम.एस. काला, सदस्य

आदेश

1. यह अपील अपीलार्थी ने स्थानान्तरण आदेश दिनांक 30.09.2021 (अनुलग्नक–1) को चुनौती देते हुए प्रस्तुत की है, जिसके द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण/पदस्थापन राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय, मालवीय नगर, जयपुर से राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, भट्टो की गली, जयपुर।
2. अपीलार्थी का अपील में यह कथन रहा है कि आदेश दिनांक 30.09.2021 के द्वारा निजी प्रत्यर्थी संख्या 3 सरिता सेहरा को अपीलार्थी के स्थान पर पदस्थापित किया गया है, जो पूर्व में कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक शिक्षा, जयपुर में कार्यरत थी। उसका यह भी कथन

है कि अपीलार्थी का स्थानान्तरण व निजी प्रत्यर्थी संख्या–3 का स्थानान्तरण निजी प्रत्यर्थी संख्या–4 को समंजित करने की दृष्टि से किया गया है, क्योंकि निजी प्रत्यर्थी संख्या–4 सुमेर सिंह का स्थानान्तरण कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक शिक्षा, जयपुर में निजी प्रत्यर्थी संख्या–3 के स्थान पर किया गया है और अपीलार्थी का स्थानान्तरण अन्यत्र किया गया है। ऐसे में अपीलार्थी का स्थानान्तरण आदेश दिनांक 30.09.2021 (अनुलग्नक–1) द्वारा निजी प्रत्यर्थी संख्या–4 सुमेर सिंह का स्थानान्तरण आदेश दिनांक 06.10.2021 (अनुलग्नक–4) दोनों ही दुर्भावनापूर्वक पारित किये गये हैं, जो विधि विरूद्ध है। अतः आलोच्य आदेश को अपीलार्थी के सम्बन्ध में अपास्त किया जावे।

3. निजी प्रत्यर्थी संख्या–3 की ओर से जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि अपीलार्थी वर्तमान पदस्थापित स्थान पर लगभग 7 वर्ष से कार्यरत है। उसका स्थानान्तरण दुर्भावनापूर्ण तरीके से नहीं किया गया है, अपितु प्रशासनिक आवश्यकताओं के दृष्टिगत किया गया है। उनका यह भी कथन रहा है कि निजी प्रत्यर्थी संख्या 3 स्वयं कैंसर रोग से पीडित है एवं वह 40 प्रतिशत निःशक्त है। राज्य सरकार की नीति के दृष्टिगत अपीलार्थी को जयपुर में ही पदस्थापित किया गया है। उसने दिनांक 09.10.2021 को कार्य ग्रहण भी कर लिया है एवं वर्तमान में निजी प्रत्यर्थी वहीं पर कार्यरत है। उक्त आधार पर अपीलार्थी की अपील खारिज किये जाने योग्य है, जिसे खारिज किया जावे।

4. निजी प्रत्यर्थी संख्या–4 की ओर से जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि निजी प्रत्यर्थी संख्या–4 ने अपने पदस्थापित स्थान कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक शिक्षा, जयपुर में कार्य ग्रहण कर लिया है और वह वहां पर लगभग एक वर्ष से कार्यरत है। ऐसे में अब स्थानान्तरण आदेश में हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं है। अतः अपील निरस्त की जावे।

5. राज्य सरकार की ओर से जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि अपीलार्थी वर्तमान पदस्थापित स्थान पर वर्ष 2014 से कार्यरत है अर्थात् सात वर्ष बाद अपीलार्थी का जिले में ही स्थानान्तरण किया गया है। निजी

प्रत्यर्थी को लाभ पहुंचाने की दृष्टि से अपीलार्थी का स्थानान्तरण नहीं किया गया है एवं स्थानान्तरण में कोई दुर्भावना नहीं रही है। आदेश प्रशासनिक आवश्यकता में जनहित को दृष्टिगत रखते हुए जारी किया गया है। अतः अपील निरस्तनीय है, जिसे निरस्त किया जावे।

6. हमनें उभय पक्षकारों के तर्कों पर मनन किया एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया।

7. उल्लेखनीय है कि इस अधिकरण द्वारा अंतरिम आदेश दिनांक 12.11.2021 पारित कर यह आदेश दिया गया था कि अपीलार्थी को उसी स्थान पर कार्यरत रखा जावे, जहां पर वह आलोच्य आदेश पारित किये जाने से पूर्व कार्यरत था। यह भी तथ्य प्रकट हुआ है कि निजी प्रत्यर्थी संख्या–3 सरिता सेहरा ने राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय, मालवीय नगर, जयपुर में कार्य ग्रहण कर लिया था, जहां पर अपीलार्थी कार्यरत था एवं अन्तरिम आदेश पारित किये जाने के पश्चात अपीलार्थी भी उसी स्थान पर कार्यरत है अर्थात् एक ही स्थान पर दो कर्मचारी कार्यरत हो गये हैं। राज्य सरकार की ओर से अपील के लम्बित रहने के दौरान एक अन्य आदेश दिनांक 27.05.2022 को पारित किया गया है, जिसके द्वारा निजी प्रत्यर्थी संख्या 3 सरिता सेहरा का अन्यत्र स्थानान्तरण प्रधानाचार्य डाईट जयपुर में किया गया है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने S.B.Civil Writ Petition No. 2140/2007 titled Brijendra Singh Meena V/s State of Rajasthan में निम्न निर्णय पारित किया है:–

> *"Instant Writ petition has been filed by the petitioner assailing the order dated 02.02.2007 pursuant to which he was transferred.*
>
> *While issuing notices, operation of the order impugned (supra) was stayed by the Court as evident from the order sheet dated 02.04.2007 pursuant thereto the petitioner must have been allowed to continue at the place where he was posted prior to passing of the order impugned.*
>
> *On account of change in circumstances, if at all there was any justification to transfer the petitioner in the interest of administration, by passage of time, may not exist any further and this court considers it appropriate to observe that the order impugned (supra) may not be given effect to any further but it will not preclude the respondents from passing fresh order transferring the petitioner in the interest of administration, if required.*

With these directions/observations, the writ petition stands disposed of."

8. उपर्युक्त न्यायिक दृष्टांत को दृष्टिगत रखते हुए एवं इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि इस अपील में वर्तमान प्रकरण में अपीलार्थी द्वारा स्थानान्तरण आदेश दिनांक 30.09.2021 को चुनौती दी गई है। उक्त आदेश को पारित हुए लगभग एक वर्ष का समय पूरा हो चुका है। ऐसे में अपीलार्थी के सम्बन्ध में पारित किये गये अंतरिम स्थगन आदेश दिनांक 12.11.2021 को सम्पुष्ट (Confirm) किया जाकर अपील का निस्तारण किया जाता है। यह भी आदेश दिया जाता है कि प्रत्यर्थी विभाग अपीलार्थी व निजी प्रत्यर्थीगण के सम्बन्ध में लोकहित व प्रशासनिक आवश्यकताओं को देखते हुए नवीन आदेश पारित करने के लिये स्वतंत्र रहेगा।

(एम.एस. काला)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)